दिनांक 06.12.2025
प्रेस विज्ञप्ति 10/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एसटीएफः बड़े व्यापारियों को फिरौती हेतु अपहरण करने की योजना बनाकर प्रयासरत गैंग से <u>एसटीएफ के साथ जनपद देवरिया में हुई मुठभेड़ में 03 अभियुक्त गिरफ्तार।</u>

दिनांक 06—12—2025 की रात्रि में बड़े व्यापारियों को फिरौती हेतु अपहरण करने की योजना बनाकर प्रयासरत गैंग से एसटीएफ उ0प्र0 के साथ जनपद देवरिया में हुई मुठभेड़ में 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

<u>अभियुक्तों का विवरण—</u>

1. हिमान्शु उर्फ गोविन्द यादव पुत्र रामचन्द्र यादव निवासी मिर्जापुर, पोस्ट खिरिया खाझा, थाना रानीपुर, जिला मऊ।
2. मंजीत यादव पुत्र स्व0 शिवबली यादव निवासी ताजपुर उस्मानपुर, पोस्ट पिपरीडीह, थाना सरायलखंसी, जनपद मऊ।
3. नितेश यादव पुत्र शिवसागर यादव निवासी बरवा, थाना महुआडीह, जनपद देवरिया।

<u>अभियुक्तों से बरामदगी—</u>

1. 02 अदद अवैध पिस्टल .32 बोर मय 02 अदद मैगजीन।
2. 03 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर।
3. 02 अदद खोखा कारतूस .32 बोर
4. 02 अदद देशी तमन्चा .315 बोर
5. 04 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर।
6. 01 अदद बुलेट मोटरसाइकिल।

<u>घटनास्थल का दिनांक/समय/स्थान—</u>

दिनांक 06.12.2025 की रात्रि 00.30 बजे। स्थान—महदहां मोड़ से डुमवलिया रोड पर लगभग 400 मीटर सड़क पर थाना क्षेत्र सलेमपुर, जनपद देवरिया।

स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश लखनऊ को सूचना प्राप्त हो रही थी की जनपद देवरिया व आस—पास के जनपद में एक गैंग सक्रिय है जो किसी बड़े व्यापारी की फिरौती के लिये अपहरण करने की फिराक में है। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री धर्मेश कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ, लखनऊ के पर्यवेक्षण में तथा निरीक्षक श्री सत्य प्रकाश सिंह एसटीएफ फील्ड इकाई गोरखपुर

नेतृत्व में एसटीएफ फील्ड इकाई गोरखपुर टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि हिमांषु यादव निवासी थाना क्षेत्र रानीपुर जनपद मऊ व प्रदीप यादव थानाक्षेत्र महुआडीह, जनपद देवरिया अपने कुछ साथ्यिों के साथ मिलकर सलेमपुर थाना क्षेत्र के अन्तर्गत पड़री तिवारी गांव के दो लोगों का फिरौती के लिए अपहरण करने की तैयारी में हैं। सूचना प्राप्त हुई कि फिरौती के लिए अपहरण की घटना कारित करने हेतु योजना बनाने वाला गैंग महदहा चौराहे से डुमवलिया रोड पर जायेंगे और रास्ते में सिसवा पाण्डेय गांव के आस–पास अपहरण की घटना को अंजाम देंगे। बदमाश चारपहिया एवं दो पहिया वाहन से आने वाले हैं एवं उनके पास घातक असलहे हैं। व्यापारी किसी शादी समारोह में सम्मिलित होने गये हैं उसी रास्ते से अपने गांव पड़री तिवारी जायेंगे और गैंग द्वारा रास्ते में ही घटना को अंजाम दिया जायेगा।

इस सूचना पर तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए निरीक्षक श्री सत्य प्रकाश सिंह, उ0नि0 यशवन्त सिंह, मुख्य आरक्षी महेन्द्र प्रताप सिंह, मुख्य आरक्षी आशुतोष कुमार तिवारी, मुख्य आरक्षी उमेश कुमार सिंह, मुख्य आरक्षी अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, मुख्य आरक्षी आदित्य कुमार पाण्डेय, मुख्य आरक्षी शिवानन्द उपाध्याय, मुख्य आरक्षी गौरव प्रताप सिंह, मुख्य आरक्षी मो0 इमरान खान, मुख्य आरक्षी नसीरूद्दीन एवं थाना सलेमपुर पुलिस एवं एस0ओ0जी0 व स्वाट टीम देवरिया द्वारा महदहां तिराहा से डुमवलिया रोड पर करीब 400 मीटर आगे जाकर निगरानी करने लगे कुछ देर बाद एक बुलेट मोटरसाइकिल व एक स्वीफ्ट डिजायर कार महदहां की ओर से आती हुई दिखाई दी, जिसे मुखबिर खास द्वारा बताया गया कि यही वे बदमाष हैं। उक्त बुलेट मोटरसाइकिल व एक स्वीफ्ट डिजायर कार को रोकने का प्रयास किया गया जिस पर बुलेट सवार व कार सवार बदमाषों द्वारा एसटीएफ व पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया दौरान फायरिंग कार सवार बदमाष भाग गये तथा बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार बदमाषों द्वारा पुलिस टीम को देख कर एसटीएफ व पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से करने लगे। इस पर एसटीएफ व पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ नियंत्रित व संतुलित व न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुये उक्त अपराधी पर फायर किया गया, जिससे एक बदमाष घायल हो गया। शेष अन्य दो बदमाषों को एसटीएफ टीम द्वारा पकड़ लिया गया। जिनसे उपरोक्त बदरामदगी हुई। घायल हिमांषु उर्फ गोविन्द यादव उपरोक्त को समुचित इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सलेमपुर भेजा गया, जहां से चिकित्सकों द्वारा मेडिकल कालेज देवरिया रेफर कर दिया गया है।

पकड़े गये दोनो व्यक्तियों से एक साथ व अलग अलग पूछताछ की गई तो मंजीत यादव उपरोक्त ने बताया कि उसे हिमांशु यादव उपरोक्त ने फिरौती के लिए अपहरण करने के लिए बुलाया था। इस वारदात को अंजाम देने के लिए उसके साथ

अंकित यादव पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम ग्राम चौथी, थाना मरदह जनपद गाजीपुर, सर्वेश उर्फ गोलू यादव पुत्र अज्ञात निवासी कहिनवर थाना सरायलखंसी, जनपद मऊ, पंकज यादव पुत्र अज्ञात निवासी मजखानी पिपरीडीह थाना सरायलखंसी, जनपद मऊ दो दिन पहले बिना नम्बर की स्वीफ्ट डीजायर कार से आये थे। हम लोग प्रदीप यादव पुत्र मदन यादव निवासी बरवा, थाना महुआडीह, जनपद देवरिया के गांव आकर रुके थे। रात में उसके मुर्गीफार्म पर सोते थे। हम लोगों का खाने–पीने और अन्य जरुरतों का ध्यान प्रदीप यादव एवं नितेश यादव उपरोक्त रखते थे वही मुर्गी फार्म पर सूरज गौड़ पुत्र अज्ञात निवासी नेरुई अमवा, थाना महुआडीह जनपद देवरिया भी आया था। वहा पर वह व हिमांशु यादव, नितेश यादव, प्रदीप यादव, सूरज गौड़, अंकित यादव, सर्वेश उर्फ गोलू यादव, पंकज यादव एक साथ ही थे। हमने आपस में एक राय होकर फिरौती के लिए अपहरण करने की योजना बनाये थी। आज हम लोग मिलकर फिरौती के लिए अपहरण की घटना को अंजाम देना था। इसी योजना के तहत प्रदीप यादव, अंकित यादव, सर्वेश उर्फ गोलू यादव, पंकज यादव व सूरज गौड़ जो कि मारूती स्वीफ्ट डिजायर गाडी में बैठ कर हमारे सा साथ ही आ रहे थे जो उसी गाड़ी के साथ फायर करते हुये भाग गये है।

पकड़े गये दोनों व्यक्तियों से इधर आने का कारण पूछा गया तो बतायें कि हम लोगों का एक संगठित गिरोह है हम लोगों को बड़े व्यापारी राजकमल तिवारी जिनके पास सफेद रंग का डिफेंडर गाड़ी है, जो ग्राम पड़री तिवारी का रहने वाला है तथा अरविन्द तिवारी उर्फ चुन्न तिवारी जिनका सलेमपुर में अन्नपूर्णा होटल है तथा अन्य प्रदेश में व्यवसाय है, इनमें से किसी एक व्यक्ति का पहले तथा दुसरे व्यक्ति का उसके कुछ दिन बाद फिरौती के लिए अपहरण करना था। आज अभी व्यापारी राजकमल तिवारी डिफेंडर गाडी से किसी शादी के समारोह से लौटने वाला था उसका इसी समय फिरौती के लिए अपहरण कर लेते। जिसका अपहरण करना था, उसके क्रियाकलाप की कौन सूचना दे रहा था, यह पूछने पर दोनों ने बताया कि वह सूरज गौड़ के ज्यादा सम्पर्क में रहता है। वह पहले सूरज गौड़ के साथ जेल में बन्द रहा है। यहीं कहीं आस पास का रहने वाला है। उसको हम लोग तिवारी जी के नाम से जानते है। वह सूरज से इंटरनेट काल अथवा वाट्सएप्प काल से सम्पर्क में रहता है। अपहरण करके हम लोगों को पांच करोड़ रुपये के फिरौती की मांग करनी थी तथा उन रुपयों को क्रिप्टो करेंसी के जरिये लेना था। अपहरण करने के पश्चात उस व्यक्ति को नेपाल में रखने की योजना थी। नेपाल में सूरज गौड़ का सम्पर्क है, वही उन्हें नेपाल में ले जाकर रखवाता। फिरौती से मिली रकम का पचास प्रतिशत रुपया मुखबिरी करने वाला व्यक्ति रखता तथा पचास प्रतिशत में हम सभी लोग हिस्सेदारी पाते। हिमांशु यादव के बारे में पूछने पर बताया कि वह बहुत बड़ा अपराधी है। हम लोगों का बॉस है पहले भी वह विभिन्न जनपदों में हत्या व लूट की बड़ी घटना कर चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास निम्नवत् हैः–

1–हिमान्शु उर्फ गोविन्द यादवः–

1. मु0अ0सं0 324/2023 धारा 394,411 भादवि थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया
2. मु0अ0सं0 353/2023 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गौरीबाजार, जनपद देवरिया।
3. मु0अ0सं0 488/2023 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना गौरीबाजार, जनपद देवरिया।
4. मु0अ0सं0 339/2023 धारा 392,411,504,506 भादवि थाना रूद्रपुर, जनपद देवरिया।
5. मु0अ0सं0 28/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दिलदारनगर, जनपद गाजीपुर।
6. मु0अ0सं0–332/2020 धारा 120ठ,147,148,149,302 भादवि व 3(2)(ट) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट थाना मरदह, जनपद गाजीपुर।
7. मु0अ0सं0 121/2021 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना मरदह, जनपद गाजीपुर।
8. मु0अ0सं0 205/2023 धारा 307,394 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कासिमाबाद, जनपद गाजीपुर।
9. मु0अ0सं0 344/2023 धारा 307,392,411,504 भादवि थाना नेबुआ नौरंगिया, जनपद कुशीनगर।
10. मु0अ0सं0 375/2023 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर।
11. मु0अ0सं0 145/2020 धारा 379,411 भादवि थाना सरायलखंसी जनपद मऊ
12. मु0अ0सं0 477/2020 धारा 147,148,149,302,34 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कासिमाबाद जनपद देवरिया।
13. मु0अ0सं0– 369/2025 धारा–190, 109(1), 61(2) बीएनएस व धारा–3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सलेमपुर जनपद देवरिया।

2–मंजीत यादवः–

1. मु0अ0सं0–369/2025 धारा–190, 109(1), 61(2) बीएनएस व धारा–3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सलेमपुर जनपद देवरिया।

3–नितेश यादवः–

1. मु0अ0सं0–369/2025 धारा–190, 109(1), 61(2) बीएनएस व धारा–3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सलेमपुर जनपद देवरिया।

उपरोक्त अपराधियों के विरूद्ध अन्य अभियोगों के बारे में जानकारी की जा रही है। उपरोक्त मुठभेङ के सम्बन्ध में थाना सलेमपुर, जनपद–देवरिया में मु0अ0सं0–369/2025 धारा–190, 109(1), 61(2) बीएनएस व धारा–3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही थाना सलेमपुर, जनपद–देवरिया पुलिस द्वारा की जायेगी।

एएनटीएफ यूनिट बरेली द्वारा अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले 01 सक्रिय तस्कर को गिरफ्तार कर, कब्जे से 05 किलो 200 ग्राम अवैध अफीम (जिसकी कीमत लगभग 52 लाख रूपये), 01 अदद मोबाइल फोन, बरामद किया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध उ0प्र0, के मार्गदर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक, एएनटीएफ लखनऊ के नेतृत्व में एएनटीएफ यूनिट बरेली द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला 01 सक्रिय तस्कर रामौतार पुत्र प्राणसुख निवासी ग्राम ढकिया थाना अलीगंज जनपद बरेली को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से 5.2 किलोग्राम अवैध मादक अफीम (जिसकी कीमत लगभग 52 लाख रूपये), 01 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना सुभाषनगर जनपद बरेली पर मु0अ0सं0 861/25 धारा 8/18/29 एनडीपीएस एक्ट मे मुकदमा पंजीकृत कराते हुए विधिक कार्यवाही किया गया ।

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त द्वारा पूछने पर बताया गया कि उसका नाम रामौतार है वह झारखण्ड से अफीम लेकर आता है या कई बार झारखण्ड से अफीम की सप्लाई करने वाले लोग भी यहाँ आकर सप्लाई दे जाते हैं । यह अफीम जो उसके पास मिली है उसे एक व्यक्ति जो खादखेड़ा बस स्टैण्ड के पास रांची का रहने वाला है, यह अफीम उसे देकर गया था । आज वह इस अवैध अफीम की सप्लाई के लिए एक पार्टी का इंतजार कर रहा था तभी आप लोगों ने पकड़ लिया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

1. रामौतार पुत्र प्राणसुख निवासी ग्राम ढकिया थाना अलीगंज जनपद बरेली ।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान–

दिनांक– 05.12.2025 स्थान–त्रिशुल तिराहे पर महेशपुरा फाटक की ओर बने यात्रीशैड के सामने ।

बरामदगी का विवरण

1. 05 किलो 200 ग्राम अवैध अफीम (जिसकी कीमत लगभग 52 लाख रूपये)
2. 01 अदद मोबाईल फोन

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण– ए0एन0टी0एफ0 यूनिट बरेली

1. प्रभारी उ0नि0 श्री विकास यादव तैनाती ए.एन.टी.एफ. यूनिट बरेली
2. हे0का0 दिनेश कुमार तैनाती ए.एन.टी.एफ. यूनिट बरेली
3. का0 सौरभ चौधरी एएनटीएफ यूनिट बरेली
4. का0 अंकित यादव ए.एन.टी.एफ. यूनिट बरेली
5. का0 विनीत कुमार ए.एन.टी.एफ. यूनिट बरेली
6. का0 कुश कुमार एएनटीएफ यूनिट बरेली
7. म0का0 छाया एएनटीएफ यूनिट बरेली ।

सहयोगार्थ थाना सुभाषनगर की टीम–

उ0नि0 पवन कुमार थाना सुभाषनगर जिला बरेली

हे0का0 अवनीश थाना सुभाषनगर जिला बरेली।

कमिश्नरेट आगरा/थाना सदर बाजार

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 05.12.2025 को थाना सदर बाजार व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नेहरू एनक्लेव के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त आंसू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सदर बाजार पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आंसू निवासी तुलसीनगर थाना ताजगंज, आगरा।

जनपद बहराइच/थाना रूपईडीहा

• 03 अभियुक्त गिरफ्तार

• चोरी की 16 मोटर साइकिल

• 02 मोबाइल फोन आदि बरामद

दिनॉकः 05/06.12.2025 की रात्रि थाना रूपईडीहा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पचपकड़ी तिराहा से 03 अभियुक्तों 1–जावेद 2–कमरूद्दीन 3–सुहैल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 16 मोटर साइकिल, 02 मोबाइल फोन आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना रूपईडीहा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जावेद निवासी इटियाथोक थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा वर्तमान पता–वार्ड नं0–07 चौकी वोडा प्रहरी नेपालगंज जनपद बाके, नेपाल।

2–कमरूद्दीन निवासी वार्ड नं0–17 बुलबुलिया पुलिस चौकी बाडा प्रहरी नेपालगंज जनपद बांके, नेपाल।

3–सुहैल निवासी नयाबास थाना सियाना जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1–चोरी की 16 मोटर साइकिल।

2–02 मोबाइल फोन आदि।

जनपद मेरठ/थाना कंकरखेड़ा

• 08 अभियुक्त गिरफ्तार

• 151 किग्रा अवैध गांजा

• घटना में प्रयुक्त 02 कार बरामद

दिनॉकः 06.12.2025 को थाना कंकरखेड़ा व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भिन्न–भिन्न स्थानों से 08 अभियुक्तों 1–अजय उर्फ रोहटा 2–मनोज 3–कृष्णकान्त भूषण 4–रोहित उर्फ सोनू 5–राहुल 6–अजय उर्फ कालिया

7–चोटिया 8–मोहित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 151 किग्रा अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त 02 कार बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अजय उर्फ रोहटा के विरूद्ध जनपद मेरठ के थाना कंकरखेड़ा पर चोरी, आबकारी एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कंकरखेड़ा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अजय उर्फ रोहटा निवासी जवाहर नगर रोहटा रोड थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ।
2–मनोज निवासी जवाहर नगर रोहटा रोड थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ।
3–कृष्णकान्त भूषण निवासी गेमन कालोनी लाखडा खन्दा थाना बोकारो स्टील सिटी जनपद बोकारो, झारखण्ड।
4–रोहित उर्फ सोनू निवासी मोक्षपुरी कालोनी गोलाबढ थाना टीपी नगर जनपद मेरठ।
5–राहुल निवासी मोक्षपुरी कालोनी गोलाबढ थाना टीपी नगर जनपद मेरठ।
6–अजय उर्फ कालिया निवासी जवाहर नगर रोहटा रोड थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ।
7–चोटिया निवासी जवाहर नगर रोहटा रोड थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ।
8–मोहित निवासी जवाहर नगर रोहटा रोड थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ।

<u>बरामदगी</u>

1–151 किग्रा अवैध गांजा।
2–घटना में प्रयुक्त 02 कार।

- **<u>जनपद शाहजहॉपुर/थाना जलालाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 02 लाख 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद शाहजहॉपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शाहजहॉपुर द्वारा थाना जलालाबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376एबी/354 भादवि व 5/(ड)(ढ)/06 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त नन्हेलाल को आजीवन कारावास व 02 लाख 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद आजमगढ़/थाना देवगॉव (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 65 हजार 250 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना देवगांव पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/307/336/504/506 भादवि व 27/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राणाप्रताप को आजीवन कारावास व 65 हजार 250 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बस्ती/थाना कोतवाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/307 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त विजय को आजीवन कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हापुड़/थाना गढ़मुक्तेश्वर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हापुड़ द्वारा थाना गढ़मुक्तेश्वर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 450 भादवि व 3/4(1) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त शाहरूख उर्फ रिहान को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।